मु० नम्बर.....किस्म..... .....उनवान.....

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

दिनांक	फर्द अहकाम
	24/4/24 पत्रावली प्रस्तुत आज बाद [illegible] कार्य स्थगित किया गया है अतः [illegible] अनुसार दिनांक 7-5-24 [illegible]
7/5/24	पत्रावली पेश हुई। श्रीमती वकील व श्रीमती उप० नगी। प्रकरण में बार-बार श्रीमती व श्रीमती वकील उप० नगी। श्रीमती व श्रीमती वकील मानाय कि लगाने के बावजूद उप० नगी। निरन्तर गैर हाजिर चल रहे हैं कि श्रीमती व श्रीमती वकील प्रकरण आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। अतः मु० नं० 222/24 T.B भगवती देवी बनाम बाबूलाल आदि धारा 24 व अन्य रोकी में शामिल किया जाता है। पत्रावली फिर अगले मुमकिन पेशी नम्बर में प्रस्तुत हो। उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 12:28:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner